FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0003 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 05/01/2024 21:14 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/04/2022 **Date To (दिनांक तक):** 20/04/2022

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 05/01/2024 **Time (समय):** 00:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय):** 05/01/2024 21:14:11 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-WEST, 6 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** High court Jaipur

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** Parmesawer Pilaniya

(b) **Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1995 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):** अन्य

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	D3, Jamnalal bajaj marg, C scheme, jaipur, Jaipur, ASHOK NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	D3, Jamnalal bajaj marg, C scheme, jaipur, Jaipur, ASHOK NAGAR, JAIPUR CITY (SOUTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** 91-9982791117

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	Pannalal Gurjar			1. Kalwar,Amer,Amer,AMER,JAIPUR CITY

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया निवासी डी-3, नवलखां अपार्टमेन्ट भारत माता पथ, जमनालाल बजाज मार्ग, सी-स्कीम जयपुर द्वारा दिनांक 20.04.2022 को श्रीमान महानिदेशक, महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर के समक्ष श्री पन्नालाल जमादार, माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के विरूद्ध 300/- रूपये रिश्वत लेने के आशय की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट संख्या 08 के द्वारा न्यायालय मे सुनवाई होने के उपरान्त अन्तरिम आदेश पारित किए जाते है तो वकीलों को न्याय हित में आदेशो की प्रति यथाशीघ्र प्राप्त करनी होती है ताकि पक्षकार के खिलाफ होने वाली आगामी कार्यवाही से बचाया जा सके। न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली नकल शाखा में भेजने का कार्य करने वाला जमादार पन्नालाल इस कार्य के लिये वकीलों को रिश्वत देने के लिए विवश करता है, जिस अधिवक्ता द्वारा जिन पत्रावलियों में ज्यादा रिश्वत दी जाती है उनकी फाईले कोर्ट उठने से पूर्व ही जमादार शाखा में ले जाता है और जिन फाईलों में कम रिश्वत दी जाती है ऐसी फाईले कोर्ट उठने के बाद लेकर जाता है। रिश्वत प्राप्त नहीं होने की अवस्था में अगले दिन या इससे भी बाद फाईले नकल शाखा में ले जाता है। परिवादी प्रमेश्वर पिलानिया के द्वारा दिनांक 19.04.2022 को केस एकल पीठ आपराधिक विविध याचिका संख्या-3437/2022 कोर्ट नम्बर 08 में क्रम संख्या 64 पर लगा हुआ था। जिसमें माननीय न्यायालय ने अंतरिम राहत के आदेश सुबह लगभग 09:00 बजे पारित किए इसलिए पक्षकार के हित में आदेशों की प्रति तत्काल प्राप्त करना परिवादी को मजबूरी थी। परिवादी द्वारा जमादार पन्नालाल से बात की तो उसने फाईल को लंच के बाद नकल शाखा में भेजने के लिए रिश्वत को मांग की। परिवादी के पास समय कम होने से एसीबी में जाकर टीम को लाना संभव नहीं था परिवादी ने अपने साथी वकील श्री अजीत सिंह शेखावत की मदद से 200/- रूपये रिश्वत मांगने व रिश्वत प्राप्त करने के संबंध में अपने मोबाईलो से ऑडियो व विडीयो रिकॉडिंग कर ली थी जिसमे स्पष्ट रूप से बकाया काम, लंच में हस्ताक्षर करवाकर फाईल सैक्शन में भेजना, रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत प्राप्त करना दिखाई और सुनाई दे रहा है तथा लंच के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे उसी जमादार पन्नालाल ने काम पूर्ण कर पुनः 100/- रूपये रिश्वत की मांग करते हुए प्राप्त कर लिए जिसकी भी ऑडियो/विडीयो रिकॉडिंग कर ली गई थी। यह समस्त घटना कम राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर की कोर्ट संख्या-08 के बाहर बरामदे में हुआ है जहां पर हाई कोर्ट की ओर से भी सरकारी कैमरे लगे हुए है जिनमें समस्त घटना रिकॉर्ड है। उक्त कैमरों की रिकॉर्डिंग तुरंत प्राप्त की जाकर उनको संरक्षित करवाना अति आवश्यक है अन्यथा यह महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकता है साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में लगे समस्त सीसीटीवी कैमरों में दिनांक 19.04.2022 की समस्त रिकॉर्डिंग तत्काल निकलवाकर सुरक्षित करनी चाहिये ताकि कोर्ट संख्या 08 के जमादार पन्नालाल द्वारा कौन-कौन सी और कितनी फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई इसके सम्बंध में अनुसंधान किया जा सके, साथ ही न्यायालय से सैक्शन में फाईले भेजने हेतु कौन कर्मचारी जिम्मेदार है और जमादार पन्नालाल द्वारा जो फाईले तत्काल सैक्शन में ले जाई गई उनका पर्यवेक्षण किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था इस संबंध मे अनुसंधान किया जाना अतिआवश्यक है। यह भी जांच की जावे की कुछ आदेशों पर हस्ताक्षर करवाने में पन्नालाल कैसे सक्षम था अगर लंच के समय समस्त आदेशों पर हस्ताक्षर होते थे तो समस्त पत्रावलियां सैक्शन में क्यों नही भेजी जाती थी और इस रिश्वती राशि में अन्य किन-किन लोगो का हिस्सा होता था यह रिश्वति रकम दिखने में छोटी लग सकती है लेकिन अगर प्रतिदिन लगने वाले सैकडो मामलों में यह रिश्वत ली जायेगी तो यह रिश्वति रकम लाखों रूपये मासिक में परिर्वतित हो जायेगी। अतः रिश्वत लेन-देन के संबंध में की गई रिकॉर्डिंग सलंग्न कर लेख है कि जमादार पन्नालाल सहित प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पी.सी. एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करें जिसके सलंग्न परिवादी प्रमेश्वर पिलानियां द्वारा उक्त ऑडियो/विडियों रिकॉर्डिग को डिवीडी पेश की है। परिवादी की उक्त शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय द्वारा परिवाद आर नं0 2578/2022 दर्ज कर प्राथमिक जांच दर्ज करवाने हेतु प्राप्त हुआ जिस पर परिवादी के द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को चलाकर सुना एवं देखा गया तो उक्त डीवीडी में दर्ज ऑडियो/वीडियो में परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं जमादार श्री पन्नालाल के मध्य राशि का आदान प्रदान होना पाया गया। ऑडियो/वीडियो वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिट तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी से तीन अन्य सीडी तैयार कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत डीवीडी को गवाहान एवं परिवादी श्री प्रमेश्वर पिलानिया एवं उसके साथी अजीत सिंह के समक्ष शिल्ड मोहर किया जाकर कब्जे ब्यूरो में लिया गया। श्रीमान् रजिस्ट्रार (प्रशासन) महोदय, राज. उच्च

न्यायालय जयपुर से दिनांक 19-4-2022 कोर्ट सं० 8 के सामने लगे कैमरे के सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए गए तथा श्री पन्नालाल जमादार का सेवा विवरण प्राप्त किया गया। परिवादी द्वारा पेश की गई डीवीडी का मुख्यालय के पत्रांक 298 दिनांक 25.04.2022 द्वारा परीक्षण राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद से कराने की स्वीकृति प्राप्त होने पर परीक्षण कराया जाकर परीक्षण रिपोर्ट "Based on the above examainations it is opined that no trace of editing is found in the contents of the audio and video files in the item 1." प्राप्त की गई। दौराने जांच श्री पन्नालाल जमादार कोर्ट सं० 08, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर व अन्य के विरूद्ध रिश्वति मांग कर ग्रहण करने के आरोपों पर विस्तृत जांच हेतु प्राथमिक जांच सं0 04/2022 दिनांक 28.04.2023 दर्ज होकर प्राप्त हुई। दौराने प्राथमिक जांच श्री सुमेर सिंह उप निरीक्षक पुलिस प्रभारी सुरक्षा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, श्री जितेन्द्र मेहरा सुपरवाईजर सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम हाईकोर्ट जयपुर एवं श्री इमरान खान ऑपरेटर सीसीटीवी कन्ट्रोल रूम हाईकोर्ट जयपुर के बयान लेखबद्ध किए गए एवं तेलंगाना स्टेट फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेटरी, हैदराबाद से प्राप्त ऑडियो/वीडियो की डीवीडी की परीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गई। दौराने जांच जप्त शुदा पैनड्राईव घटना की दिनांक 19.04.2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के कोर्ट नबंर 08 के बरामदे में लगे सीसीटीवी फुटेज का विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। की गई जांच, गवाहान के बयान एवं फर्द ट्रासंकिप्ट ऑडियो/विडियो रिकॉडिंग, परिवादी श्री परमेश्वर पिलानियां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, व तेलंगाना स्टेट फोरेन्सिक साईन्स लेबोरेटरी, हैदराबाद व राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर, राजस्थान से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट से आरोपी लोक सेवक श्री पन्नालाल गुर्जर द्वारा परिवादी से एक बार 200 रूपये तथा पुनः 100 रूपये रिश्वत के रूप में अपनी पदीय स्थति का लाभ उठाकर नियम विरूद्ध बेईमानी से प्राप्त करना पाया गया है जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दंण्डनीय अपराध है। अतः आरोपी श्री पन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री गणेश नारायण गुर्जर जाति गुर्जर 51 साल निवासी कालवाड पोस्ट अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर हाल उशर (जमादार) माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जयपुर के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी रिपोर्ट क्रमांकन हेतु प्रेषित है।

एस.डी. (आहद खान) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आहद खान, अतिरिक्त अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पन्नालाल गुर्जर पुत्र श्री गणेशलाल गुर्जर हाल उशर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2024 उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध कर प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।
उपरोक्त के संबंध में रोजनामचा रपट संख्या 75 दिनांक 05.01.2024 अंकित की गई है।

एस.डी. विशनाराम पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 10-13 दिनांक 5.1.2024

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवंआवश्यक कार्यवाहीहेतुप्रेषितहै।
1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1, जयपुर।
2.रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर, राजस्थान।
3.पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर देहात, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** NEERAJ BHARDWAJ **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Vishanaram
Location: Rajasthan,IN
Date: 05/01/2024 21:15:47

Name(नाम): Vishna Ram

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1973				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)